

EV 834 336204 ZN

SCANNED

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक.) उत्तराखंड

“महालेखाकार भवन” कौलागढ़, देहरादून - 248195

फोन: 0135-2970866, 2970867 फैक्स: 0135-2970859, 2970865

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-91/2024-25/1600

दिनांक: 21/11/2024

सेवा में,

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	राज्य	राजधानी	पिन कोड
1	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गुजरात	अहमदाबाद	380009
2	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मेघालय	शिलोंग	793001
3	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	असम	गुवाहाटी	781029
4	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	झारखण्ड	रांची	834002
5	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	बिहार	पटना	800001
6	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	केरल	तिरुवनंतपुरम	695039
7	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	474002
8	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तमिलनाडु	चेन्नई	600018
9	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	महाराष्ट्र	मुम्बई	400020
10	महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II	महाराष्ट्र	नागपुर	440001
11	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	कर्नाटक	बेंगलुरु	560001
12	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	उड़ीशा	भुवनेश्वर	751001
13	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पंजाब	चंडीगढ़	160017
14	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हरियाणा	चंडीगढ़	160047
15	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	हिमाचल प्रदेश	शिमला	171003
16	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	राजस्थान	जयपुर	302005
17	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -I	उत्तरप्रदेश	प्रयागराज	226010
18	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) -II गोमती नगर	प्रयागराज	लखनऊ	211001
19	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	700001
20	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	जम्मू कश्मीर	श्रीनगर	190009
21	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मणिपुर	इम्फाल	795001
22	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	त्रिपुरा	अगरतला	799006
23	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	नागालैंड	कोहिमा	797001
24	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	छत्तीसगढ़	रायपुर	492111
25	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	मिज़ोरम	आइजोल	796001
26	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	सिक्किम	गंगटोक	737102
27	वेतन एवं लेखाधिकारी -V, पेंशन, तीस हज़ारी, नई दिल्ली,	नई दिल्ली	नई दिल्ली	110124
28	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	गोवा	पणजी	403101
29	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	पोंडीचेरी	पोंडीचेरी	605001
30	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	अरुणाचल प्रदेश	नाहरलागन	791110
31	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	520001
32	प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)	तेलंगाना	हैदराबाद	500004

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) का कार्यालय
Office of the Pri. Accountant General (A&E)

INWARD

27 NOV 2024

आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा
Andhra Pradesh, Vijayawada-520 002.

कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) -उत्तराखण्ड “महालेखाकार भवन” कौलागढ देहरादून-248195

(फोन:- 0135-2970866, 2970867, फैक्स:- 0135-2970859)

पत्रांक: पी.ए./पेंशन/उत्तराखण्ड शासनादेश/डी०आर०-91/2024-25/

दिनांक: /11/2024

“विशेष मुद्रा प्राधिकार”

सेवा में,

सभी प्रधान महालेखाकार /महालेखाकार (लेखा एवं हक०) कार्यालय

विषय-1: राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर जिनकी पेंशन सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी हैं, को दिनांक: 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% मंहगाई राहत की स्वीकृति।

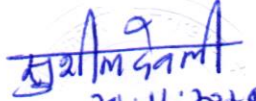
सन्दर्भ:- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन वित्त, (पेंशन) अनुभाग-10 संख्या:-250643/XXVII (10)
E-22807/2022 देहरादून, दिनांक: 29.10.2024।

महोदय,

वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त संदर्भित शासनादेश की प्रतियाँ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने अधीनस्थ समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,


20.11.2024

वरिष्ठ लेखाधिकारी/ पेंशन

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (पेंशन) अनुभाग-10
संख्या: 250643/XXVII(10)/E-
22807/2022 देहरादून: दिनांक: 29 अक्टूबर,
2024

Government of Uttarakhand
Finance (Pension) Section-10
No- 250643/XXVII(10)/E-22807/2022
Dehradun: Dated 29 October, 2024

G/21/29.X.24

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के ऐसे पेंशनर, जिनकी पेंशन 7^{वें} वेतनमान आयोग की संस्तुतियों के क्रम में पुनरीक्षित की गयी है, को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-199033/XXVII(7)/E-22807/2022, दिनांक-14 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत महंगाई राहत की दरों को अतिक्रमित करते हुए, दिनांक 01.07.2024 से 50% के स्थान पर 53% की दर से महंगाई राहत अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. यह आदेश विद्यालयी शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों, जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है, पर भी लागू होंगे।

Office Memorandum

The Undersigned is directed to say that the Governor is pleased to revise the Dearness Relief rates w.e.f. 01.07.2024 @ 53% instead of 50% superseding the earlier rates as is sanctioned vide this Office Memorandum No. 199033/XXVII(7)/ E-22807/2022 Dated 14 March, 2024 for those pensioners whose pension is revised in accordance with the recommendation of the 7th pay Commissions.

2. These orders will not be applicable to the judges of High Court, Chairman and Members of Uttarakhand Public Service Commission, Civil/Family Pensioners of local bodies and Public Undertaking Corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective department.

3. These orders will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from State under the Education/Technical Education Department whose Pension/Family Pension is at par with the pensioners of the State Government.

प्राधिकारी को इस की प्रतियाँ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, डालनवाला, देहरादून।

8. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।

9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

10. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 50 प्रतियाँ मुद्रित करा कर वित्त अनुभाग-10, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

that account officers of other states be also informed please.

7- Director, Treasury, Pension and Hukdari, Uttrakhand .

8- Director, Departmental Accounts, 23 Laxmi Road, Dalanwala, Dehradun Uttarakhand

9- All Chief/Senior Treasury Officers/ Treasury Officers, Uttarakhand.

10- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 50 copies of this G.O. be got printed and sent to the Finance Section-10, Govt. of Uttarakhand Please.

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

By Order,

(Amita Joshi)
Additional Secretary.